(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 74/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 11.11.2024 **निर्णय दिनांक** : 16.12.2024

1. पांचूराम पुत्र ग्यारसा जाति गुर्जर निवासी मंढा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राज0

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राज0
2. तहसीलदार पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राज0
3. गंगल्या पुत्र घीसा
4. भैरू पुत्र रामनाथ
   समस्त जाति गुर्जर निवासीयान मंढा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राज0

.....**अप्रार्थीगण**

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी पावटा अनुवानी गंगल्या आदि बनाम छीत्तर आदि प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 प्रार्थना पत्र संख्या 07/2024 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री जितेन्द्र कुमार रावत अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता – अप्रार्थी संख्या 03 व 04 की ओर से।

।। निर्णय ।।

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष प्रकरण उनवानी गंगल्या आदि बनाम छीत्तर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पर बहस करना जाहिर किया।
3. वकील प्रार्थी अनुपस्थित रहे। बहस अप्रार्थी संख्या 3 व 4 सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है कि उक्त अनुवानी प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 22.11.2024 है एवं मुकदमा नंबर 07/2024 है। उक्त अनुवानी प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने प्रार्थी व अन्य के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट पेश किया था, जिसमें यह अनुतोष चाहा था कि प्रार्थीगण की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 2563/1/0.40, 2564/0.23, 2566/0.21, 2572/0.2650, 2563/0.39, 2564/1/0.23, 3566/1/0.22 है० वाकै मौजा मंढा तहसील पावटा जिला कोटपतूली बहरोड राजस्थान में आने जाने हेतु रास्ता चार मीटर चौडा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 17 की खातेदारी भूमि हाल आराजी खसरा नम्बर 973/0.04, 974/0.04 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से होता हुआ व आराजी खसरा नम्बर 975/0.36 है० किस्म बारानी के उत्तरी पूर्वी डोल व कोने की तरफ से एवं खसरा नम्बर 979/0.54 है० चाही व जाव के पश्यिमी डोल की तरफ से होते हुये दक्षिणी डोल की तरफ से प्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित अपनी खातेदारी भूमि एवं उसमें मौजूद अपने मकानो में आने जाने यानि अवागमन के लिये स्थित है, रास्ता दिलवाया जावे। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 एक बाहुबल व धनबल से युक्त है एवं उनके द्वारा ऐसी एलानिया धमकी दी गयी है कि उपखण्ड अधिकारी पावटा से उनकी सांठ गाठ हो गयी है अब हम उक्त प्रकरण में हमारे पक्ष में फैसला करवायेगे। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 राजनैतिक पहुँच वाला आदमी है जिससे प्रार्थी को ओर अन्देशा हो गया है कि उसको उक्त प्रकरण में निश्चित रूप से न्याय नहीं मिलेगा तथा उपखण्ड अधिकारी पावटा छोटी छोटी तारीखे दे रहे है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त यह है कि दूसरे पक्ष को सुनकर ही न्याय किया जावे और न्याय न केवल होना चाहिये बल्कि दिखना भी चाहिये यदि कानूनन किसी पक्षकार को विधि सम्मत न्याय जो वो प्राप्त करने का अधिकारी है, वो उसे प्राप्त नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य न्यायालय मे माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार स्थानान्तरण किया जाना न्याय संगत एवं कानूनन अनिवार्य है। उक्त प्रकरण में वाकई में प्रार्थी के साथ भी न्याय नहीं हो रहा है संबंधित उपखण्ड अधिकारी कि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 से मिला हुआ है जिसमें कि उक्त प्रकरण में एक तरफा बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये हुये, प्रार्थी को बिना सुने कि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष में रास्ते का आदेश देने पर उतारू

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

हो रहे है। जबकि प्रार्थी की भूमि मकान पहले से बने हुये है तथा रास्ता की कोई सम्भावना नहीं है यदि रास्ता दे दिया जाता है तो ऐसी गलत प्रार्थना पत्रो की बहुल्ता बढेगी प्रार्थी को महत्वपूर्ण अधिकारो से महरूम होना पड़ रहा है अब प्रार्थी देईन्दा को उपखण्ड अधिकारी पावटा से अब कोई न्याय की उम्मीद नहीं है इस कारण उक्त प्रकरण को माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के किसी अन्यत्र उपखण्ड अधिकारी के यहाँ स्थानान्तरण किया जाना न्याय संगत एवं आवश्यक है।

5. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये अपने जवाब में उल्लेखित तथ्यों को जाहिर करते हुए निवेदन किया कि कि उपरोक्त अनुवानी प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन नही होकर उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र में जिस प्रकार जाहिर किया गया है अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की और से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष स्वय की खातेदारी की भूमि में रास्ता चाहने हेतु प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया जाना रिकार्ड के तथ्य है, जवाब मौहताज नही। सभी तथ्य गलत व बेबुनियाद प्रस्तुत किये गये है प्रकरण धारा 251ए आर.टी.एक्ट का है जोकि समरी कार्यवाही की श्रेणी में आते है तथा जिसका निस्तारण तीन माह में किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रकरण में अप्रार्थी दरख्वास्त गुजार बार बार सुचित किये जाने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आये ना ही अपना पक्ष प्रस्तुत किया अपितु उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 251ए आर. टी.एक्ट के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान के समक्ष गलत तथ्यो के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधिनस्थ न्यायालय प्रार्थी दरख्वास्त गुजार व अन्य पक्षकारान को विधिवत सुचित कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया उसके उपरान्त भी प्रार्थी दरख्वास्त गुजार व अन्य पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित न आकर उपरोक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण 3 व04 के समक्ष अपनी खातेदारी की भूमि में मौके पर रास्ता नही होने के कारण रास्ता चाहने के लिये अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए आर. टी.एक्ट प्रस्तुत किया एवं बार बार सूचित किये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी दरख्वास्त गुजार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आये ना ही जवाब प्रस्तुत किया अपितु गलत तथ्यो के आधार पर न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। महज प्रकरण में विलंब करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उभय पक्षकारान ग्राम मंढा तहसील पावटा के निवासी है तथा अन्यत्र न्यायालय में पत्रावली का स्थानान्तरित किये जाने से पक्षकारान को आने जाने व अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने हेतु जाने के लिये, साक्ष्य आदि लेने के लिये अत्यधिक परेशानियों से गुजरना होगा इसलिये उपरोक्त प्रार्थना पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय में कतई न्यायोचित नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

6. उपखण्ड अधिकारी पावटा ने अपने पत्रांक कोर्ट/2024/581 दिनांक 25.11.2024 के द्वारा जाहिर किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मनमाने व झूठे है। यदि प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है।

7. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

8. वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में पेश दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़